

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99,पार्ट

जयपुर दिनांक 08/12/2021

:: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की पैरवी हेतु नियुक्त निम्नांकित अतिरिक्त महाधिवक्तागण को इस विभाग के पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 07.01.19, 11.01.19, 24.01.19, 07.02.19, 15.03.19, 27.09.19, 03.01.2020 द्वारा विभिन्न विभागों का आवंटन किया गया था। इस विभाग के उक्त आदेशों के अतिक्रमण में, उन्हें विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-


S.No.	Name of AAG	Departments
1.	Maj. R.P. Singh	Mining, Finance, Forest & Industries, Planning Department, Law & Justice Department, Petroleum, Statistics, Environment
2.	Shri Anil Mehta	UDH (All service & Misc. matters), Local Self Department (Misc. matters), Parliamentary Affairs Department, PHED
3.	Shri. Chirangi Lal Saini	Primary Education, Labour & Employment, Ayurved, Technical Education, Devasthan, Sports Youth Affairs, Minority/Wakf, Sainik Kalyan, Social Justice & Empowerment, Science & Technology, Pension Department.
4.	Shri Ganesh Meena	Sanskrit Education, Secondary Education, GAD, Social Welfare, Tribal Area Development Department, State Insurance & GPF, Revenue Department.
5	Shri Rajesh Maharshi	Agriculture, Food & Civil Supplies, Home Department (All service & Misc. matters), Command Area Development Department, Dairy, Local Self Department (Service matters).
6.	Shri Satyendra Raghav	Cooperative, Colonisation, DOP & Transport, Election, DPR, Printing & Stationery Department, Indira Gandhi Nahar Priyojna, Medical and Health Department (Misc. matters)
7.	Dr. Vibhuti Bhushan Sharma	Service matters of Medical Department, All matters of Medical Education, Higher Education, PWD
8.	Shri Ganesh Parihar	Panchayt Raj Department (Service matters), Energy, HCM-RIPA, Archology, IT Department, Fisheries, Administrative Reforms Department
9	Ms. Sheetal Mirdha	Animal Husbandary, Relief & Disaster Managment, Water Resources, Women Empowerment, Child Development, Panchayt Raj Department (Other than Service matters), Irrigation, Bhasha, Rehabilitation, Tourism Department, Art & Culture Department.

1. उक्त विभाग आवंटन के अतिरिक्त विधि एवं विधिक कार्य विभाग संबंधित प्रशासनिक विभाग की सकारण प्रार्थना पर अथवा अपने स्वविवेक से कोई भी प्रकरण किसी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता को आवंटित कर सकेगा।
2. उक्त आवंटित विभागों में से किसी भी विभाग का परिवर्तन/परिवर्द्धन महाधिवक्ता से विचार-विमर्श/सलाह से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
3. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण इस आदेश से पूर्व के आवंटित प्रकरणों की सम्पूर्ण पत्रावलीयां इस आदेश में वर्णित विभाग-आवंटनानुसार संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता को यथाशीघ्र सुपुर्द करेंगे। जिन्हें वर्तमान अतिरिक्त महाधिवक्ता यथाशीघ्र उनसे प्राप्त करेंगे।
4. सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण/सभी प्रशासनिक विभाग प्रकरण आवंटन के संबंध में समय-समय पर विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

08.12.2021
(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।


(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि